बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 108/3ITC

संo संo–05/उo निo बo (आवंटन) 34/2018

पटना, दिनांक 7.2.19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष 0103–रेशम भवन, विपत्र कोड 23-4851.00.107.0103, विषय शीर्ष 0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में किशनगंज में रीलिंग यूनिट की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए कुल लागत रू0 1,56,45,431/– में से रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 **1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष 0103–रेशम भवन, विपत्र कोड 23-4851.00.107.0103, विषय शीर्ष 0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मद से विकलित होगा।

3 यह आवंटनादेश वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 829 दिनांक 06.02.19 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 108 / उ०त०
प्रतिलिपि :— पटना, दिनांक 7.2.19

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 108 / उ०त०
प्रतिलिपि :— पटना, दिनांक 7.2.19

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णिया/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए०सी०–डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), उद्योग भवन, गांधी मैदान, पटना/प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।